साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा राजोद के खाता संख्या 61 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से इकबाली जवाब दावा व राजीनामा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी नें वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः मनोहर कंवर एवं अन्तर कंवर ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 भवानी सिंह राठौड़ के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा राजोद के खेत खसरा नम्बर 654 रकबा 1.5945 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 746 रकबा 2.8166 हैक्टेयर में से रकबा 1.4083 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार, खसरा नम्बर 169 रकबा 4.2492 हैक्टेयर में से रकबा 2.3876 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 गणेशसिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा राजोद के खेत खसरा नम्बर 1364/654 रकबा 0.0162 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, खेत खसरा नम्बर 409 रकबा 2.1125 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443 रकबा 4.6943 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.6637 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 721 रकबा 2.2824 हैक्टैयर एवं खसरा नम्बर 797 रकबा 0.4532 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 अमर सिंह के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा राजोद के खेत खसरा नम्बर 409 रकबा 2.1125 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 746 रकबा 2.8166 हैक्टेयर में से रकबा 1.4083 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 169 रकबा 4.2492 हैक्टेयर में से रकबा 1.8616 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः मनोहर कंवर एवं अन्तर कंवर के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 26.4.24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner